प्रारंभिक परीक्षा

मनचे श्लोक

संदर्भ

17वीं शताब्दी में मराठी संत-कवि समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित मनचे श्लोक (मन को संबोधित श्लोक) महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ग्रंथों में से एक है, जिसका पारंपरिक रूप से चरित्र निर्माण और मानसिक अनुशासन के लिए पाठ किया जाता है।

मनचे श्लोक के बारे में

- **लेखक एवं युग**: इसकी रचना 17वीं शताब्दी के संत-कवि और छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन **समर्थ रामदास स्वामी** ने की थी।
- **मुख्य उद्देश्य:** यह मनोनिग्रह (मानसिक नियंत्रण) और मनोलय (अहंकार का निरोधन) के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, जो बाह्य अनुष्ठानों के बजाय आंतरिक संवाद पर केंद्रित है।
- **संरचनात्मक सटीकता**: इसमें लयबद्ध भुजंगप्रयात छंद में लिखे गए 205 श्लोक हैं, जो आसानी से याद करने और अवचेतन मन पर प्रभाव डालने के लिए बनाए गए हैं।
- **विषयगत रूपरेखा:** यह तार्किक रूप से व्यवहारिक नैतिकता (विनम्रता और सत्य) से मनोवैज्ञानिक शुद्धि (षड्रिपुओं या छह शत्रुओं पर विजय) और अंत में अद्वैत दर्शन की ओर अग्रसर होता है।
- **आधुनिक प्रासंगिकता:** नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने और उन्हें रचनात्मक, नैतिक प्रतिज्ञाओं से बदलने के अपने व्यवस्थित दृष्टिकोण के कारण इसकी तुलना अक्सर संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) से की जाती है।

वारंगल

संदर्भ

वारंगल में आज जिस "अत्यंत आसानी" से बाढ़ आती है, उसका कारण इन प्राचीन नालों पर अतिक्रमण और मूसी बेसिन की ओर जाने वाले ऐतिहासिक जल निकासी मार्ग का बाधित होना है।

ऐतिहासिक संदर्भ

- **1163 ईस्वी में स्थापित वारंगल (ऐतिहासिक रूप से ओरुगल्लू) काकतीय राजवंश (12वीं-14वीं शताब्दी) के दौरान अस्तित्व में आया, जिसने राजा गणपति देव के शासनकाल में अपनी राजधानी हनुमाकोंडा से ओरुगल्लू स्थानांतरित की थी।**
- **एकाशिला नगरम:** इस शहर को "एकाशिला" (एकल पत्थर) के नाम से जाना जाता था क्योंकि पूरा किला एक विशाल ग्रेनाइट पहाड़ी के चारों ओर केंद्रित था।
- **संकेंद्रित किलाबंदी:** यह शहर मध्यकालीन सैन्य इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जिसमें रक्षा की तीन परतें थीं: एक आंतरिक पत्थर की दीवार, एक मध्य मिट्टी की दीवार और एक बाहरी प्राचीर।
- **काला तोरण:** ये प्रतिष्ठित पत्थर के द्वार, जो अब तेलंगाना का राज्य प्रतीक हैं, स्वयंभुव शिव मंदिर के अनुष्ठानिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते थे।
- **स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण:** इस युग में हजार स्तंभों वाला मंदिर (हनुमाकोंडा) और पास में स्थित रामप्पा मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) का निर्माण हुआ, जो अपनी "रेत की पेटी" जैसी नींव और जटिल डोलोराइट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **रुद्रमा देवी का शासनकाल:** वारंगल रानी रुद्रमा देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जो भारतीय इतिहास की कुछ गिनी-चुनी महिला शासकों में से एक थीं, जिन्होंने यादवों और चोलों के विरुद्ध राज्य की रक्षा की।

जलवैज्ञानिक संदर्भ

- **हालांकि वारंगल किसी प्रमुख बारहमासी नदी के तट पर सीधे स्थित नहीं है, फिर भी इसका अस्तित्व और समृद्धि मूसी नदी नेटवर्क और व्यापक कृष्णा नदी बेसिन के साथ इसके परिष्कृत संबंध पर आधारित है।**

- **मूसी नदी से संबंध:** यह शहर कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मूसी नदी के उत्तरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय जल निकासी चैनल और नाले (जैसे बोंडीवागु) अंततः मूसी नदी प्रणाली में मिल जाते हैं।
- **"तालाबों की श्रृंखला" प्रणाली:** काकतीय शासक भूदृश्य इंजीनियरिंग में अग्रणी थे। उन्होंने वर्षा जल संचयन के लिए भद्रकाली, वड्डेपल्ली और गुंडम चेरुवु जैसी परस्पर जुड़ी हुई मानव निर्मित झीलों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। ये तालाब मूसी की छोटी सहायक नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रक का काम करते थे और अर्ध-शुष्क दक्कन पठार के लिए बारहमासी जल स्रोत प्रदान करते थे।
- **खाई प्रणाली:** वारंगल किले के चारों ओर एक कार्यात्मक खाई थी, जो दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती थी: रक्षात्मक सुरक्षा और शहर की आबादी के लिए एक द्वितीयक जलाशय के रूप में कार्य करना।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को "टेक-मेक-डिस्पोज" मॉडल से सर्कुलर इकोनॉमी में बदलने के लिए मजबूत किया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026 की मुख्य विशेषताएं

- **अनिवार्य पुनर्नवीनीकरण सामग्री:** पहली बार, नियम नई पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का एक विशिष्ट प्रतिशत अनिवार्य करते हैं। 2025-26 के लिए, श्रेणी I (कठोर) के लिए 30%, श्रेणी II (लचीला) के लिए 10% और श्रेणी III (बहु-स्तरीय) के लिए 5% लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- **अनुपालन लचीलापन (कैरी-फॉरवर्ड):** जो कंपनियां अपने 2025-26 रीसाइक्लिंग लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहती हैं, उन्हें बाद के तीन वर्षों तक कमी को आगे बढ़ाने की अनुमति है, बशर्ते वे सालाना कम से कम एक तिहाई घाटे को पूरा करें।
- **व्यापार योग्य ईपीआर प्रमाणपत्र:** नियम एक बाजार-आधारित तंत्र को औपचारिक रूप देते हैं जहां अपने लक्ष्यों से अधिक कंपनियां कमी का सामना करने वालों को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) प्रमाण पत्र बेच सकती हैं , जिससे एक लचीली राष्ट्रीय अनुपालन ग्रिड की सुविधा मिलती है।
- **पुन: उपयोग के लिए चरणबद्ध लक्ष्य:** रीसाइक्लिंग से परे, नियम कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए अनिवार्य पुन: उपयोग दायित्वों को लागू करते हैं, जैसे कि 2025-26 तक बड़े पानी के कारबॉय के लिए 70% पुन: उपयोग लक्ष्य और छोटे कंटेनरों के लिए 10% (0.9-4.9 लीटर)।
- **केंद्रीकृत डिजिटल ट्रैकिंग:** सभी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) को अपशिष्ट प्रसंस्करण दावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रबंधित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न पंजीकृत और दाखिल करना होगा।
- **पर्यावरण मुआवजा (ईसी):** एक "प्रदूषक भुगतान करता है" व्यवस्था स्थापित की जाती है जहां गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय दंड लगाया जाता है। इन निधियों को संग्रह के लिए निर्धारित किया जाता है, पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे के लिए साझा किया जाता है, और जीवन के अंत की निपटान परियोजनाओं के लिए साझा किया जाता है।
- **सुरक्षा मानकों के लिए छूट:** नियम एक महत्वपूर्ण बहिष्करण प्रदान करते हैं जहां पुनर्नवीनीकरण सामग्री लक्ष्य लागू नहीं होते हैं यदि वे खाद्य सुरक्षा नियमों (एफएसएसएआई) या अन्य विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता मानकों के साथ संघर्ष करते हैं।
- **परिभाषित प्लास्टिक वर्गीकरण:** प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्लास्टिक को सख्ती से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी I (कठोर), श्रेणी II (लचीली / एकल परत), श्रेणी III (बहु-स्तरीय), और श्रेणी IV (कंपोस्टेबल प्लास्टिक), प्रत्येक अलग-अलग प्रक्षेपवक्र बेंचमार्क के साथ।

एनडीडी(NDD) प्रतिबंध

संदर्भ

- आरबीआई (RBI) ने बैंकों को रुपये में नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव (NDD) अनुबंधों से प्रतिबंधित कर दिया है, यह एक ऐसा खंड है जो अक्सर बड़े मुद्रा खिलाड़ियों द्वारा सट्टेबाजी (speculative trading) से जुड़ा होता है।
- यह कदम विदेशी मुद्रा बाजार में अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता लाने के प्रयास का संकेत देता है, जिसका उद्देश्य सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और ऑनशोर बाजार (onshore market) को मजबूत करना है।
- इस निर्देश के बाद, सट्टेबाजी के दबाव में कमी के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर से नीचे से तेजी से सुधरकर 93.10 पर आ गया। यह कदम पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण तेल की बढ़ती कीमतों और पूंजी बहिर्वाह के बीच मुद्रा को स्थिर करने के लिए लक्षित है।

एनडीडी (NDD) बाजार के बारे में

- **नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव्स (NDDs) ऐसे वित्तीय अनुबंध हैं जिनका उपयोग उन मुद्राओं पर हेजिंग (hedging) या सट्टेबाजी के लिए किया जाता है जो पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं हैं — जैसे कि भारतीय रुपया — जिसमें अंतर्निहित मुद्रा का कोई वास्तविक विनिमय नहीं होता है।**
- निपटान (settlement) के समय मुद्रा की भौतिक डिलीवरी के बजाय, सहमत अनुबंध दर और वास्तविक बाजार दर के बीच के अंतर का निपटान एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में किया जाता है।
- मूल रूप से, एनडीडी ऑफशोर मुद्रा अनुबंध हैं जो प्रतिभागियों को मुद्रा की वास्तविक डिलीवरी के बिना रुपये के भविष्य के मूल्य पर दांव लगाने की अनुमति देते हैं।
- एनडीडी का व्यापार भारत के बाहर वैश्विक वित्तीय केंद्रों जैसे: सिंगापुर; हांगकांग; लंदन; दुबई में किया जाता है।
- ये बाजार आरबीआई के प्रत्यक्ष विनियामक नियंत्रण से बाहर संचालित होते हैं।
- एनडीडी बाजार अक्सर मूल्य निर्धारण तंत्र (price discovery mechanism) के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय बाजारों के खुलने से पहले ही रुपये के बारे में अपेक्षाओं को आकार देते हैं।

एनडीडी कैसे काम करते हैं

- **नकद-निपटान अनुबंध (Cash-Settled Contracts)** – एक एनडीडी में, दो पक्ष रुपये के लिए भविष्य की विनिमय दर पर सहमत होते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्रा के विनिमय के बजाय अनुबंध का निपटान नकद (आमतौर पर अमेरिकी डॉलर) में किया जाता है।
- **उनके अस्तित्व का कारण** – भारत के पूंजी नियंत्रण के कारण, विदेशी निवेशक स्वतंत्र रूप से रुपये का व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसके कारण ऑफशोर एनडीडी बाजारों का विकास हुआ।

एनडीडी बाजार का उपयोग कौन करता है

- विदेशी निवेशक और हेज फंड
- वैश्विक बैंक
- मुद्रा जोखिम को हेज करने वाली कंपनियां
- वे घरेलू बाजार तक पहुंच बनाए बिना रुपये की गतिविधियों पर सट्टेबाजी करने या उनके विरुद्ध हेजिंग करने के लिए एनडीडी का उपयोग करते हैं।

एनडीडी बाजार की चिंताएं और आलोचना

- ऑफशोर धारणा घरेलू मूलभूत सिद्धांतों (domestic fundamentals) से भिन्न हो सकती है।
- विकृत मूल्य संकेतों और संभावित हेरफेर की ओर ले जाता है।
- रुपये में उच्च अस्थिरता (volatility) में योगदान देता है।

एनडीडी बाजार का दुरुपयोग

- एनडीडी बाजार, जो मूल रूप से हेजिंग के लिए था, अक्सर प्रतिभागियों द्वारा सट्टा लाभ के लिए दुरुपयोग किया जाता था।
- कुछ व्यापारी अनुकूल मुद्रा गतिविधियों से लाभ उठाने के लिए अनुबंधों को रद्द करते थे और पुनः प्रवेश करते थे, जिससे जोखिम-प्रबंधन उपकरण प्रभावी रूप से एक सट्टा उपकरण में बदल जाता था।
- वैश्विक अनिश्चितता की अवधि के दौरान, जैसे कि पश्चिम एशिया संघर्ष, बड़े ऑफशोर व्यापारियों ने रुपये के मूल्यह्रास (depreciation) पर दांव लगाते हुए आक्रामक रुख अपनाया।
- इन कार्यों ने भारत में ऑनशोर बाजार को प्रभावित किया, जिससे अस्थिरता बढ़ी और मुद्रा कमजोर हुई।

खामियों पर आरबीआई की कार्रवाई

- आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य उन विनियामक आर्बिट्राज (regulatory arbitrage) के अवसरों को बंद करना है जिन्होंने ऐसी प्रथाओं की अनुमति दी थी।
- एनडीडी-संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित करके, केंद्रीय बैंक निगरानी को कड़ा कर रहा है और ऑफशोर बाजारों में दुरुपयोग को सीमित कर रहा है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण कदम संबंधित पक्षों (related parties) के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध है, जो अंतर-समूह लेनदेन (intra-group dealings) से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करता है जो वास्तविक जोखिम जोखिम को छिपा सकते हैं या विभिन्न क्षेत्राधिकारों में लाभ स्थानांतरित कर सकते हैं।
- वैश्विक लेखांकन मानकों के साथ नियमों का संरेखण पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार करने के आरबीआई के प्रयास को दर्शाता है।
- अल्प अवधि में, इन उपायों से सट्टा गतिविधियों में कमी आने और रुपये के स्थिर होने की संभावना है, जिससे अस्थिरता कम होगी और भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

तेलंगाना ने एक प्लेटफार्म-आधारित गिग वर्कर्स विधेयक पारित किया

संदर्भ

तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना प्लेटफार्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2026 पारित किया।

प्रमुख विशेषताएँ

- **कल्याण बोर्ड:** विधेयक पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक समर्पित कल्याण कोष के प्रबंधन हेतु तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना करता है।
- **कल्याण शुल्क:** एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को लेनदेन मूल्य का 1%-2% कल्याण कोष में योगदान देना होगा।
- **श्रमिक पहचान पत्र:** प्रत्येक पंजीकृत गिग वर्कर को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (UID) प्राप्त होगी।
- **एल्गोरिथम पारदर्शिता:** प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि कार्यों का आवंटन कैसे किया जाता है और श्रमिक रेटिंग उपलब्ध कार्य को कैसे प्रभावित करती है।
- **बर्खास्तगी**: तत्काल सुरक्षा खतरों के मामलों को छोड़कर, एग्रीगेटर को किसी भी श्रमिक की बर्खास्तगी से पहले लिखित कारण और 7 दिन का नोटिस देना होगा।
- **शिकायत निवारण:** विधेयक दो स्तरीय विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है।
    - 100 से अधिक श्रमिकों वाले प्लेटफॉर्म के लिए आंतरिक विवाद समाधान समितियां (IDRC) अनिवार्य हैं।
    - सरकार 30 दिनों के भीतर विवादों के समाधान के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

भारत के गिग वर्कर्स के लिए नियामक ढांचा

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, भारत में पहली बार "गिग वर्कर्स" और "प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स" को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला प्रमुख राष्ट्रीय कानून है।
- **कानूनी परिभाषा**: गिग वर्कर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो नियोक्ता-कर्मचारी के पारंपरिक संबंधों से बाहर काम करता है।
- **एग्रीगेटर शुल्क**: संहिता के अनुसार, डिजिटल एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक कारोबार का 1%-2% सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना अनिवार्य है, जो कुल श्रमिक भुगतान के 5% तक सीमित है।
- **राज्य कानून:** श्रम एक समवर्ती विषय है, जो राज्यों को केंद्रीय कानून से स्वतंत्र रूप से गिग वर्कर्स के लिए समर्पित कानून बनाने में सक्षम बनाता है।
- **भारत का पहला: राजस्थान ने 2023 में भारत का पहला समर्पित गिग वर्कर कानून पारित किया, जिसमें एक कल्याण बोर्ड और सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए लेनदेन-आधारित शुल्क की स्थापना की गई।**

भारत और अजरबैजान ने संबंधों को फिर से स्थापित किया

संदर्भ

- ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना के कारण उत्पन्न तनाव के बाद संबंधों को बहाल करने के लिए भारत और अजरबैजान ने बाकू में छठी विदेश कार्यालय परामर्श बैठक (2026) आयोजित की।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद संबंधों में गिरावट

- **ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना:** पहलगाम आतंकी हमले के बाद अज़रबैजान ने पाकिस्तान पर भारत के हमलों की आलोचना करते हुए संयम बरतने की अपील की।
- **अज़रबैजान-पाकिस्तान रणनीतिक संबंध:** अज़रबैजान, पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सैन्य और राजनीतिक साझेदारी बनाए रखता है, जिसका एक कारण आर्मेनिया के खिलाफ नागोर्नो-काराबाख संघर्ष में इस्लामाबाद का समर्थन है।
- **भारत-आर्मेनिया रक्षा संबंध:** अज़रबैजान ने भारत पर आर्मेनिया को हथियार आपूर्ति करने का आरोप लगाया, जिससे राजनयिक तनाव और बढ़ गया।
- **बहुपक्षीय तनाव:** अज़रबैजान ने आरोप लगाया कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में उसकी सदस्यता को अवरुद्ध किया है।

हाल ही में संबंधों में सुधार

- **विदेश कार्यालय परामर्श:** भारत और अज़रबैजान ने 2022 के बाद उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता फिर से शुरू की और खुले संवाद के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने पर सहमति व्यक्त की।
- **ऊर्जा सहयोग:** अज़रबैजान ने भारत को कच्चे तेल का निर्यात फिर से शुरू किया (भारत को अज़रबैजान के कुल निर्यात का लगभग 98%); ओएनजीसी विदेश की तेल और गैस परियोजनाओं में हिस्सेदारी है।
- **आतंकवाद विरोधी वार्ता:** दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा की, जिससे तनाव कम होने के संकेत मिले।
- **मानवीय सहयोग:** अज़रबैजान ने ईरान से 200 से अधिक भारतीयों को निकालने में मदद की, जिससे राजनयिक माहौल में सुधार हुआ।
- **भविष्य में सहयोग:** विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर नई दिल्ली में निर्धारित है, जो निरंतर सहयोग का संकेत देता है।

गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों का संशोधित वर्गीकरण

संदर्भ

- गृह मंत्रालय (MHA) ने 2026 में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों के वर्गीकरण में संशोधन किया, जो 'रेड कॉरिडोर' में आई भारी गिरावट (2005 में लगभग 200 जिलों से आज केवल 2 मुख्य जिलों तक) को दर्शाता है।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों का संशोधित वर्गीकरण (2026)

श्रेणी	अर्थ / माओवादी गतिविधि की प्रकृति	जिले
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (2)	सक्रिय विद्रोही उपस्थिति और लगातार हिंसा के साथ मुख्य माओवादी गढ़	बीजापुर (छत्तीसगढ़); पश्चिम सिंहभूम (झारखंड)
चिंता वाले जिले (1)	छिटपुट माओवादी घटनाओं वाले क्षेत्र लेकिन घटती परिचालन क्षमता	कांकेर (छत्तीसगढ़)
लिगेसी और थ्रस्ट जिले (35)	ऐतिहासिक माओवादी उपस्थिति वाले क्षेत्र लेकिन घटती हिंसा; विकास और शासन की पहुंच पर ध्यान	छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना

वर्गीकरण का मार्गदर्शन करने वाला नीतिगत ढांचा

- **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015):** सुरक्षा संचालन, विकास कार्यक्रमों, शासन सुधारों और सामुदायिक पहुंच के संयोजन वाली एकीकृत रणनीति।
- **आवधिक समीक्षा तंत्र:** गृह मंत्रालय सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास निधि को जमीनी हकीकतों के साथ संरेखित करने के लिए नियमित रूप से जिलों का पुनर्मूल्यांकन करता है।

नए वर्गीकरण का महत्व

- **सिकुड़ता रेड कॉरिडोर:** माओवादी प्रभाव 2005 के ~200 जिलों से घटकर आज निगरानी के तहत केवल 38 जिलों तक सीमित हो गया है।
- **लक्षित शासन:** सुरक्षा बलों को मुख्य क्षेत्रों में निर्देशित करने में मदद करता है, जबकि स्थिर क्षेत्रों में ध्यान विकास की ओर स्थानांतरित करता है।
- **"नक्सल मुक्त भारत" की ओर:** केंद्र-राज्य की समन्वित रणनीति और सुरक्षा-विकास दृष्टिकोण के कारण माओवादी हिंसा में आई बड़ी गिरावट को दर्शाता है।

आईएनएस अरिदमन (INS ARIDAMAN)

संदर्भ

भारत ने आईएनएस अरिदमन (S4) को सेवा में शामिल किया, जो तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है।

आईएनएस अरिदमन के बारे में

- **श्रेणी:** अरिहंत-श्रेणी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) (भारत के परमाणु निवारक बल का हिस्सा)।
- **कार्यक्रम:** उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) परियोजना (भारत का गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम) के तहत विकसित।
- **निर्माता:** डीआरडीओ (DRDO), बार्क (BARC) और भारतीय नौसेना के सहयोग से शिप बिल्डिंग सेंटर (विशाखापत्तनम) द्वारा निर्मित।
- **सामरिक कमान:** सामरिक बल कमान (SFC) के तहत संचालित, जो परमाणु निवारण (nuclear deterrence) के लिए जिम्मेदार है।
- **भूमिका:** गुप्त पानी के नीचे परमाणु प्लेटफार्मों के माध्यम से विश्वसनीय न्यूनतम निवारण (credible minimum deterrence) और द्वितीय-आघात क्षमता (second-strike capability) सुनिश्चित करना।
- **परमाणु ट्रायड (Nuclear Triad) को सुदृढ़ करना:** भारत के समुद्र-आधारित परमाणु निवारण को बढ़ाता है (भारत परिचालन ट्रायड के साथ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस के साथ शामिल हो गया है)।

अरिहंत-श्रेणी की SSBN का तुलनात्मक विवरण

पनडुब्बी	कमीशन (सेवा में)	विस्थापन	मिसाइल क्षमता	मिसाइल के प्रकार	प्रमुख क्षमता
आईएनएस अरिहंत (S2)	2016	~6,000 टन	12 K-15 या 4 K-4	K-15 (750 किमी), K-4 (3,500 किमी)	भारत की पहली SSBN, परमाणु ट्रायड को क्रियान्वित किया
आईएनएस अरिघात (S3)	2024	~6,000 टन	12 K-15 या 4 K-4	K-15, K-4	बेहतर स्टेल्थ (stealth) और सहनशक्ति
आईएनएस अरिदमन (S4)	2026	~7,000 टन	24 K-15 या 8 K-4	K-15, K-4, भविष्य की K-5 (~5,000 किमी रेंज)	अधिक मिसाइल पेलोड और लंबी निवारण सीमा

- **वर्तमान पनडुब्बी शक्ति:** SSBN के अलावा, भारतीय नौसेना के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां सेवा में हैं (फ्रांस के सहयोग से निर्मित छह कलवरी-श्रेणी की हमलावर पनडुब्बियां, चार शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बियां, और सात किलो (सिंधुघोष) श्रेणी की पनडुब्बियां)।
    - इसकी तुलना में, अमेरिका के पास 14 ओहियो-श्रेणी की SSBN और 53 तीव्र-हमलावर (fast-attack) पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें से छह परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां हैं।
- **भविष्य की पनडुब्बी योजनाएं:** भारत परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों (SSNs) को विकसित करने और प्रोजेक्ट-75I पारंपरिक पनडुब्बियों सहित अपने पनडुब्बी बेड़े का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

सीबीएसई नया पाठ्यक्रम (2026-2031)

संदर्भ

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक संशोधित स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कक्षा 6 से तीसरी भाषा अनिवार्य की गई है और व्यावसायिक, कौशल-आधारित तथा अंतःविषय शिक्षण (interdisciplinary learning) का विस्तार किया गया है। ये सुधार 2031 तक के लिए एक कार्ययोजना (roadmap) की रूपरेखा तैयार करते हैं।

नए सीबीएसई पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

- **कक्षा 6 से अनिवार्य तीसरी भाषा:** शैक्षणिक सत्र 2026-27 से, छात्रों के लिए कक्षा 6 से तीसरी भाषा (R3) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं आवश्यक होंगी। यह सुधार 2031 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं तक पूर्णतः लागू हो जाएगा।
    - छात्र सभी 22 'अनुसूचित भाषाओं' में से चयन कर सकते हैं, जो लचीलेपन और समावेशिता को बढ़ाता है। हालांकि, बोर्ड परीक्षाओं में केवल एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी सहित) का विकल्प चुना जा सकता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखण:** यह पाठ्यक्रम त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) को क्रियान्वित करता है, जो बहुभाषावाद और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
    - यह मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा-आधारित शिक्षण पर जोर देता है, जिसकी अध्ययन सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के सहयोग से विकसित की गई है।
- **व्यावसायिक, कला और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य:** 2027-28 से, कक्षा 9-10 में औपचारिक मूल्यांकन के साथ व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी। कला और शारीरिक शिक्षा भी अनिवार्य होगी, जिसका मूल्यांकन शुरू में आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ-साथ समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
- **उभरते विषयों का परिचय (एआई और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग):** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को कक्षा 9-10 में मॉड्यूल के रूप में पेश किया जाएगा और 2029 तक धीरे-धीरे इन्हें अनिवार्य बोर्ड विषय बना दिया जाएगा। प्रारंभिक डिजिटल दक्षता निर्माण के लिए इन्हें कक्षा 3-8 से ही शुरू किया जा रहा है।
- **गणित और विज्ञान के लिए दो-स्तरीय प्रणाली:** कक्षा 9 के छात्र गणित और विज्ञान में 'मानक' (standard) या 'उन्नत' (advanced) स्तर का चयन कर सकते हैं। उन्नत स्तर में अतिरिक्त सामग्री और एक अलग 25 अंकों की परीक्षा शामिल है, जिसका प्रदर्शन अंक पत्र (mark sheet) में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह योग्यता और विषय की मजबूती की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन कालक्रम (2026-2031):** सुधारों को चरणों में लागू किया जाएगा:
    - 2026-27: कक्षा 6 में तीसरी भाषा शुरू होगी और एआई (AI) मॉड्यूल पेश किए जाएंगे।
    - 2027-28: व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी।
    - 2028 के बाद: उन्नत स्तर की परीक्षाएं शुरू होंगी।
    - 2029: एआई (AI) एक बोर्ड विषय बन जाएगा।
    - 2031: कक्षा 10 में त्रि-भाषा सूत्र का पूर्ण कार्यान्वयन।
- **विशेष प्रावधान और लचीलापन:** अंतरराष्ट्रीय सीबीएसई स्कूलों को केवल एक भारतीय भाषा (दो के बजाय) की पेशकश करने की आवश्यकता है।
    - स्कूलों को कक्षा 12 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में कम से कम एक भारतीय भाषा प्रदान करनी होगी, जो भाषाई समावेशिता को सुदृढ़ करती है।

पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में

संदर्भ

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने इस बात को दोहराया है कि **सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का गारंटीशुदा अधिकार नहीं है, लेकिन यदि वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें पदोन्नति के लिए निष्पक्ष रूप से विचार किए जाने का मौलिक अधिकार है।**

न्यायिक व्याख्या

- **संवैधानिक आधार और दायरे का विस्तार:** पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 16(1) (लोक नियोजन में अवसर की समानता) से उद्धृत होता है।

    - न्यायिक व्याख्या ने "नियोजन" के दायरे का विस्तार किया है, जिसमें न केवल सेवा में प्रवेश बल्कि करियर की प्रगति भी शामिल है, जिससे पदोन्नति के लिए निष्पक्ष विचार को एक संवैधानिक अधिदेश (constitutional mandate) बना दिया गया है।
- **पदोन्नति के विचार के अधिकार और पदोन्नति के अधिकार के बीच अंतर:** न्यायालयों ने इन दोनों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया है:
    - पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
    - प्रत्येक पात्र कर्मचारी के पास रिक्तियां उत्पन्न होने पर लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का मौलिक अधिकार है।
- **सिद्धांत का न्यायिक सुदृढ़ीकरण:** इस सिद्धांत को न्यायपालिका द्वारा निरंतर बरकरार रखा गया है।
    - अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1999) में, एक संविधान पीठ ने पुष्टि की कि 'विचार के क्षेत्र' (zone of consideration) में आने वाले कर्मचारियों के पास पदोन्नति के लिए मूल्यांकन किए जाने का मौलिक अधिकार है।
- **अधिकार का उल्लंघन और प्रवर्तनीयता:** किसी पात्र कर्मचारी को पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर करना मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
    - यह अधिकार व्यक्तिगत और प्रवर्तनीय (enforceable) है, जिससे प्रभावित कर्मचारी न्यायिक उपचार की मांग कर सकते हैं।
- **न्यायिक व्यवहार के माध्यम से विकास:** न्यायालयों ने समय के साथ इस अधिकार की रूपरेखा को परिष्कृत किया है।
    - बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम धर्मदेव दास (2024) में, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि हालांकि विचार किए जाने का अधिकार मौलिक है, लेकिन रिक्ति उत्पन्न होने की सटीक तारीख से पदोन्नति का कोई स्वचालित अधिकार नहीं है, विशेष रूप से प्रशासनिक देरी के मामलों में।
- **प्रमुख उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप**
    - हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (2025): विभागीय पदोन्नति समितियों (DPCs) को समय पर आयोजित करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के करीब के कर्मचारियों के लिए, इस बात पर जोर देते हुए कि देरी मौलिक अधिकारों को विफल नहीं कर सकती।
    - मणिपुर उच्च न्यायालय (2022): उन पुलिस अधिकारियों को काल्पनिक पदोन्नति (notional promotions) प्रदान की जिनकी पदोन्नति में वर्षों की देरी हुई थी, जिससे उनके करियर की प्रगति के नुकसान को स्वीकार किया गया।
    - दिल्ली उच्च न्यायालय (2024): नियमित डीपीसी बैठकों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि देरी कर्मचारियों और प्रशासनिक दक्षता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

मुख्य परीक्षा

विशाल जनसमूह वाले आयोजन और भगदड़ की संरचना

संदर्भ

नालंदा के शीतला माता मंदिर में हालिया त्रासदी (मार्च 2026) भीड़ प्रबंधन की विफलता में एक गंभीर केस स्टडी के रूप में कार्य करती है।

भारत में भगदड़ की स्थिति

- **एनसीआरबी (NCRB) डेटा:** 2001 और 2015 के बीच, भारत में 3,550 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 2,901 मौतें हुईं।
- **धार्मिक स्थल:** 2013 के एक अध्ययन (IJDRR) पर प्रकाश डालता है कि भारत में 79% भगदड़ धार्मिक आयोजनों और तीर्थयात्राओं में होती है।
- **ऐतिहासिक मिसालें:** उल्लेखनीय त्रासदियों में 2013 का रतनगढ़ मंदिर (115 मौतें), 2022 की वैष्णो देवी घटना (12 मौतें), और 2024 का हाथरस सत्संग (100+ मौतें) शामिल हैं।

भारत में भगदड़ के कारण

- **अत्यधिक भीड़:** उदाहरण के लिए, 2022 में, जम्मू और कश्मीर में प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई थी।
- **खराब समन्वय और भीड़ प्रबंधन:** कार्यक्रम आयोजकों और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी, साथ ही अपर्याप्त भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल। उदाहरण के लिए, 2024 में हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले बाबा (नारायण साकार हरि) द्वारा आयोजित एक 'सत्संग' (प्रार्थना सभा) में मची भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

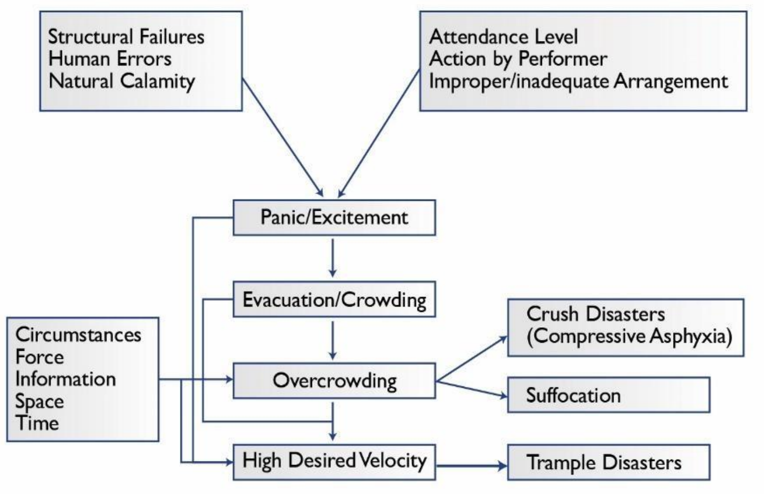

- **घबराहट (Panic) और भागने की प्रवृत्ति:** उदाहरण के लिए, 2017 में, फुट ओवरब्रिज गिरने की निराधार अफवाहों के बाद फैली घबराहट के परिणामस्वरूप मुंबई के एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भगदड़ हुई थी।
- **आग:** उदाहरण के लिए, 2023 में, दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से मची भगदड़ में 8 लोग घायल हो गए थे।
- **संरचनात्मक मुद्दे:** अस्थायी संरचनाओं का गिरना, खड़ी सीढ़ियाँ, अवैध निर्माण के कारण संकीर्ण निकास मार्ग, या भीड़भाड़ वाले स्थान।
- **सुरक्षा खतरे:** पटाखों का अनुचित उपयोग, दोषपूर्ण विद्युत वायरिंग, या अपर्याप्त सुरक्षा उपाय।

एनडीएमए (NDMA) दिशानिर्देश- "जनसमूह के आयोजनों/स्थलों के लिए भीड़ प्रबंधन योजना तैयार करने का ढांचा"

- कार्यक्रम आयोजकों को वीआईपी (VIPs) के लिए सामान्य प्रवेश को हतोत्साहित करना चाहिए या सुरक्षा से समझौता होने पर प्रवेश प्रतिबंधित करना चाहिए।
- वास्तविक समय (real-time) की घोषणाओं और भीड़ प्रबंधन के लिए भीड़भाड़ वाले बिंदुओं पर लाउडस्पीकर स्थापित करें।
- आपात स्थिति के दौरान सुरक्षित निकासी की अनुमति देने के लिए प्रत्येक 5-6 दुकानों के बीच 3-4 मीटर का अंतराल बनाए रखें।
- अधिकारियों को पैदल चलने वालों के लिए समर्पित पथ और भीड़भाड़ से बचने के लिए टट्टू/खच्चरों के लिए अलग मार्ग बनाने चाहिए।
- कार्यक्रम प्रबंधकों को स्थानीय अधिकारियों और पुलिस के साथ आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित, समीक्षा और समन्वित करना चाहिए।

- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को स्थलों का आकलन करना चाहिए, तत्परता सुनिश्चित करनी चाहिए और भीड़ तथा यातायात की गतिविधियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।
- यातायात नियंत्रण, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता और संसाधन जुटाने में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक सुरक्षा (civil defence) को शामिल करें।
- आपदा के बाद की प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक उपचार कक्ष और आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित करें।

सुझाए गए उपाय

- **भीड़ की गतिशीलता (Crowd Dynamics) को समझना:** सामान्य और अप्रत्याशित स्थितियों में भीड़ के व्यवहार की भविष्यवाणी करना, और भीड़ जोखिम स्थितियों के संदर्भ में उनके नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - वास्तविक समय में भीड़ घनत्व की निगरानी के लिए थर्मल और लिडार (LiDAR) सेंसर, जो एआई (AI) का उपयोग करके भीड़ बढ़ने की भविष्यवाणी करते हैं और प्रारंभिक चेतावनी जारी करते हैं।
  - आवाजाही को ट्रैक करने, भीड़भाड़ का पता लगाने और डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से लक्षित अलर्ट सक्षम करने के लिए टिकटों या रिस्टबैंड में आरएफआईडी (RFID) टैग।
  - निगरानी, विसंगति का पता लगाने और घोषणाओं को प्रसारित करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों और थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन।
  - इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम जो भीड़ के घनत्व के आधार पर चमक और रंग को समायोजित करते हैं ताकि आवाजाही का मार्गदर्शन किया जा सके और घबराहट कम की जा सके।
  - रास्तों में बायोल्यूमिनेसेंट (Bioluminescent) सामग्री जो आपात स्थिति के दौरान अधिक चमकती है, जिससे कम रोशनी की स्थिति में स्पष्ट निकासी मार्ग उपलब्ध होते हैं।
- **एक समन्वित प्रणाली** जो स्वतंत्र एजेंसियों को भीड़ प्रबंधन योजना और कमान संरचना में एकीकृत करती है।
- **विधान:** उच्चतम न्यायालय ने उपहार सिनेमा त्रासदी पर अपने फैसले में लापरवाही के मामलों में राज्य के उत्तरदायित्व को संबोधित करने वाले एक सुपरिभाषित कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया।
- **सख्त अनुपालन:** अनुपालन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, निर्माण और अग्नि सुरक्षा से संबंधित उल्लंघनों के लिए कठोर दंड, जिसमें कड़ा कारावास और लाइसेंस रद्द करना शामिल है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** उदाहरण के लिए, मक्का (सऊदी अरब) में हज के दौरान भीड़ प्रबंधन, 'होल्ड एंड रिलीज' भीड़-नियंत्रण पद्धति, सबरीमाला (केरल)।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) संशोधन विधेयक, 2026

संदर्भ

संसद ने संरचनात्मक देरी को दूर करने, अदालत के बाहर के तंत्रों को पेश करने और भारत के दिवाला ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आईबीसी (IBC) (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है।

आईबीसी (IBC) क्या है?

- कंपनियों, साझेदारियों और व्यक्तियों की शोधन अक्षमता (insolvency) के समाधान के लिए एक समयबद्ध, लेनदार-संचालित ढांचा प्रदान करने के लिए 2016 में अधिनियमित।
- **उद्देश्य:** या तो समाधान योजना के माध्यम से वित्तीय रूप से संकटग्रस्त फर्मों को पुनर्जीवित करना, या पुनरुद्धार संभव न होने पर व्यवस्थित तरीके से उनका परिसमापन (liquidation) करना।
- **निगरानी निकाय:** नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT); **नियामक निकाय:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)।
- सख्त समयसीमा लागू करके और प्रक्रिया को लेनदार-संचालित बनाकर पिछले खंडित कानूनों से एक बड़ा बदलाव चिह्नित किया।

कार्यान्वयन में मुद्दे

- मामलों को स्वीकार करने (admission) में देरी ने प्रक्रिया की समयबद्ध प्रकृति को कमजोर कर दिया।
- न्यायाधिकरणों (tribunals) में मामलों के बैकलॉग ने समाधान की समयसीमा को निर्धारित सीमाओं से आगे धकेल दिया।

- कई मामलों में बैंकों के लिए वसूली दर (recovery rate) मामूली रही।

IBC का प्रदर्शन अब तक (दिसंबर 2025 तक)

1,376
कंपनियों ने सफलतापूर्वक समाधान किया
₹4.11 लाख करोड़
लेनदारों द्वारा कुल वसूली
34%+
वित्तीय लेनदारों के लिए वसूली दर

ये आंकड़े बताते हैं कि हालांकि आईबीसी ने वसूली और ऋण अनुशासन में सुधार किया है, लेकिन सुधार की महत्वपूर्ण गुंजाइश बनी हुई है।

विधेयक में प्रमुख संशोधन

- **मामलों की त्वरित स्वीकृति (Admission)**
  - एनसीएलटी (NCLT) को अब डिफॉल्ट (default) स्थापित होने के बाद आवेदन स्वीकार करना अनिवार्य है।
  - अतिरिक्त विवेकाधीन शर्तें जो पहले प्रवेश चरण में बाधा उत्पन्न करती थीं, उन्हें हटा दिया गया है।
- **लेनदार-प्रारंभिक शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (CIIRP)**
  - एक नया प्रमुख अदालत से बाहर का तंत्र (out-of-court mechanism) जो निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों को पारंपरिक न्यायाधिकरण-संचालित प्रक्रिया के बाहर शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है।
  - कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 51% लेनदारों की सहमति आवश्यक है।
  - एनसीएलटी पर निर्भरता कम करता है और लेनदारों को एक तेज, सर्वसम्मति-संचालित विकल्प देता है।
- **समूह शोधन अक्षमता (Group Insolvency) ढांचा**
  - एक साथ शोधन अक्षमता से गुजर रही परस्पर जुड़ी और समूह कंपनियों से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को संबोधित करता है।
  - अलग-अलग, खंडित कार्यवाहियों के बजाय संबंधित संस्थाओं के समेकित प्रबंधन (consolidated handling) को सक्षम बनाता है।
- **सीमा पार (Cross-border) शोधन अक्षमता ढांचा**
  - अंतरराष्ट्रीय परिचालन या विदेशों में संपत्ति वाली कंपनियों से जुड़े शोधन अक्षमता मामलों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया।
  - भारत के ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतरराष्ट्रीय शोधन अक्षमता मानदंडों के साथ संरेखित करता है।
- **हितों के टकराव के सुरक्षा उपाय**
  - समाधान पेशेवरों (Resolution professionals) को अब उसी मामले में परिसमापक (liquidator) के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  - शोधन अक्षमता प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अखंडता और स्वतंत्रता को मजबूत करता है।

आगे की राह

- निरंतर सुधार संस्थागत क्षमता, विशेष रूप से न्यायाधिकरणों को मजबूत करने पर निर्भर करेगा।
- मुकदमों को कम करना और समयसीमा का सख्त पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीमा पार शोधन अक्षमता नियमों में और स्पष्टता आवश्यक होगी।

निष्कर्ष

परिसमापन पर समाधान को प्राथमिकता देने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण उद्यम मूल्य को संरक्षित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में मदद करेगा।